रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 339] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 4, 1975/भाद्र 13, 1897

No. 339] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 4, 1975/BHADRA 13,1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

[Border Security Force (II) Section (G&Q)]

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 4th September 1975

S.O. 463(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) Sub-Section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968) the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in Himachal Pradesh for a period of six months with effect from 22nd September, 1975, as active duty.

[No. F. 14/15/75-OPS/BSF]

गृह मंत्रालय

[सीमा सुरक्षा बल (II) अनुभाग (जी एण्ड क्यू)]

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 1975

सा० नि० 463 (अ).—सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (क) उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है

कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 22-9-75 से 21-3-76 तक छः मास के लिए हिमाचल प्रदेश से सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी।

[सं० फा० 14/15/75-ओप्स / बी० एस० एफ०]

S.O. 464(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) Sub-Section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968) the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in Orissa for a period of six months with effect from 22nd September, 1975, as active duty.

[No. F. 14/15/75-OPS/BSF]

सा० नि० 464(अ).—सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (क) उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 22-9-75 से 21-3-76 तक छः मास के लिए उड़ीसा से सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी।

[सं० फा० 14/15/75-ओप्स/बी० एस० एफ०]

S.O. 465(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) Sub-Section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968) the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in Goa, Daman and Diu for a period of six months with effect from 22nd September, 1975, as active duty.

[No. F. 14/15/75-OPS/BSF]

सा० नि० 465(अ).—सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 22-9-75 से 21-3-76 तक छः मास के लिए गोवा, दमण और दीव से सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी।

[सं० फा० 14/15/75-ओप्स/बी० एस० एफ०]

S.O. 466(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) Sub-Section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968) the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in Pondichery for a period of six months with effect from 22nd September, 1975, as active duty.

[No. F. 14/15/75-OPS/BSF]

सा० नि० 466(अ).—सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (क) उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 22-9-75 से 21-3-76 तक छः मास के लिए पांडिचेरी से सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी।

[सं० फा० 14/15/75-ओप्स/बी० एस० एफ०]

S.O. 467(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) Sub-Section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968) the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in Arunachal Pradesh for a period of six months with effect from 22nd September, 1975, as active duty.

[No. F. 14/15/75-OPS/BSF]

सा० नि० 467 (अ).—सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (क) उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है,

कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 22-9-75 से 21-3-76 तक छः मास के लिए अरुणाचल से सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी ।

[सं० फा० 14/15/75-ओप्स/बी० एस० एफ०]

S.O. 468(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) Sub-Section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968) the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in Dadra and Nagar Haveli for a period of six months with effect from 22nd September, 1975, as active duty.

[No. F. 14/15/75-OPS/BSF]

सा० नि० 468 (अ).—सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (क) उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 22-9-75 से 21-3-76 तक छः मास के लिए दादर और नागर हवेली से सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी ।

[सं० फा० 14/15/75-ओप्स/बी० एस० एफ०]

S.O. 469(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) Sub-Section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968) the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in Tamil Nadu for a period of six months with effect from 11th September, 1975, as active duty.

[No. F. 14/15/75-OPS/BSF]

सा० नि० 469(अ).—सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 11-9-75 से 10-3-76 तक छः मास के लिए तमिलनाडु से सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी ।

[सं० फा० 14/15/75-ओप्स/बी० एस० एफ०]

S.O. 470(E).—In pursuance of the provision of clause (a) Sub-Section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968) the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in Sikkim for a period of six months with effect from 11th September, 1975, as active duty.

[No. F. 14/15/75-OPS/BSF]

C. G. SOMIAH, Jt. Secy.

सा० नि० 470 (अ).—सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (क) उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 11-9-75 से 10-3-76 तक छः मास के लिए सिक्किम से सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी ।

[सं० फा० 14/15/75-ओप्स/बी० एस० एफ०]

सी० जी० सोमैया, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975